Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

जनवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

01/01/2024 से 07/01/2024 तक

दिल्ली कार्यालय
706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

नोएडा कार्यालय
बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर प्रदेश - 201301

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अनिवार्य : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) श्रमिकों को अब मजदूरी के लिए अपने बैंक खाता से आधार को जोड़ना अनिवार्य	1 - 6
2.	भारत – दक्षिण कोरिया रक्षा – सहयोग संबंधों की लौ को पुनर्जीवित करना	6 - 12
3.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत – मालदीव संबंध	12 - 16
4.	उल्फा – संधि: सुरक्षा उपायों पर त्रिपक्षीय व्यापक और प्रभावी समझौता	16 - 21
5.	सेबी का परिरक्षण / रक्षा / बचाव	21 - 26
6.	भारतीय परीक्षा – प्रणाली में आमूल – चूल परिवर्तन की वर्तमान प्रासंगिकता	27 - 35

करंट अफेयर्स जनवरी 2024

अनिवार्य : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) श्रमिकों को अब मजदूरी के लिए अपने बैंक खाता से आधार को जोड़ना अनिवार्य

(यह लेख 'ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट', 'द इकॉनोमी टाइम्स ऑफ़ इंडिया', 'ऑक्सफ़ोम इंडिया', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू', मासिक पत्रिका 'वर्ल्ड फोकस' और ' पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर 'भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, गरीबी और विकास – संबंधी मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास,मनरेगा योजना' खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम श्रमिकों को अब मजदूरी के लिए अपने बैंक खाता से आधार को जोड़ना अनिवार्य' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास,मनरेगा योजना।

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की ओर से जारी आदेश

के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में मजदूरी का भुगतान अब सीधा बैंक खातों में ही होगा। इसके लिए **आधार बेस्ड सिस्टम (ABPS)** तैयार किया गया है। श्रमिकों को बैंक खाते से आधार लिंक कराने को कहा गया है , मजदूरों / श्रमिकों को जिस बैंक खाते में उन्हें मजदूरी लेनी है, उसी से आधार लिंक कराना होगा। **यह आदेश एक फरवरी 2024 से पूरे भारत में लागू हो जायेगा।** विभाग के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक जितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था उसमें से **वर्तमान में 76 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिए गए हैं**। यह एक प्रकार की भुगतान प्रणाली है जो विशिष्ट पहचान संख्या पर आधारित होती है और आधार कार्ड धारकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से निर्बाध रूप से वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है। आधार बेस्ड सिस्टम (ABPS) बैंकिंग सेवा का उद्देश्य आधार के माध्यम से सभी को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना है । नकद जमा, नकद आहरण, खाते में जमा शेष राशि की पड़ताल, एक आधार से दूसरे आधार में राशि स्थानांतरण, लेनदेन एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे नरेगा, आवास, एन.आर.एल.एम. इत्यादि के भुगतान **डी. बी. टी. के माध्यम से सीधे हितग्राहियों/ हितधारकों के खाते में जायेगा।** हितग्राही को अपना आधार कार्ड, पासबुक के साथ बैंक में ले जाना होगा। तत्पश्चात के.वाई.सी. फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का परिचय :

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत – सरकार** द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के श्रम से जुड़े सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक ऐतिहासिक वृद्धि है।**

मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं की भागीदारी के रुझान के अर्थ क्या हैं?

महिलाओं की भागीदारी में रुझान के मायने :

- पिछले दशक में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक – वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिशत वर्ष 2020-21 में **कोविड-19** के प्रकोप के दौरान 53.19% से बढ़कर वर्तमान 59.25% हो गया है।
- **केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा** जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी की दर उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जो **70% से अधिक** है, जबकि **उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य लगभग 40% या उससे कम हैं।**
- संपूर्ण विश्व में ऐतिहासिक असमानताओं के बावजूद, भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी दरों में वृद्धिशील प्रतिशत के कारण हाल ही में सुधार दिखाया है।

ग्रामीण श्रम – बल में महिलाओं की वृद्धि के रुझान का प्रमुख कारण :

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** से परे, पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के** उल्लेखनीय आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर

(LFPR) में सत्र 2017-18 में 18.2% से बढ़कर सत्र 2022-23 में 30.5% हो गई है, साथ ही इसी अवधि के दौरान महिला बेरोज़गारी दर में 3.8% से 1.8% की गिरावट आई है।

- यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- वित्तीय वर्ष / सत्र 2023-24) में इस योजना के तहत सक्रिय कर्मचारी/ श्रमिकों की संख्या 14.32 करोड़ थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की प्रमुख विशेषताएँ:

- मनरेगा के डिज़ाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य के लिए अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना ही चाहिए ।
- किसी कारणवश यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उन श्रमिकों को ' बेरोज़गारी ' भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसमें यह आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि इसमें कम – से – कम एक तिहाई ऐसी महिलाएँ लाभार्थी हों जिन्होंने पंजीकरण कराकर काम के लिए अनुरोध किया हो।
- **मनरेगा की धारा 17** में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का **सामाजिक लेखा-परीक्षण (सोशल ऑडिट)** अनिवार्य है।

मनरेगा को क्रियान्वित करने वाली संस्था:

- भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रि-यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

मनरेगा का उद्देश्य:

- यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की क्रय – शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी – रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा),** भारत में अमीर और गरीब के बीच के आय – अंतर और जीवन जीने के तरीकों में व्याप्त अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

मनरेगा की वर्ष 2022-23 की उपलब्धियाँ:

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा),** से पूरे देशभर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मिला है।
- इसमें से 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार उत्पन्न हुआ है, जिसमें:
- **56.19% महिलाएँ**
- **19.75% अनुसूचित जाति (SC)**
- **17.47% अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग शामिल हैं।**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), के क्रियान्वयन में होने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:
धन वितरण में विलंब और अपर्याप्तता:

- भारत के अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करने में विफल रहते हैं या कुछ आकंड़ों के अनुसार विफल रहे हैं। इसके अलावा, मज़दूरी के भुगतान में देरी के लिए उन श्रमिकों को मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), योजना को आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और जिसके बाद, श्रमिकों ने इसके तहत काम करने में रुचि लेना बंद कर दिया है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकारोक्ति सहित अब तक प्राप्त पर्याप्त सबूत इस बात के संकेत हैं कि वेतन – भुगतान में देरी अपर्याप्त धन का परिणाम है।

भारत में जाति – आधारित अलगाव का नकारात्मक प्रभाव :
इस योजना में भारत में जाति के आधार पर भुगतान में विलंब होने में महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ मौजूद रही थीं। अनुसूचित जाति के श्रमिकों को 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिये 37% भुगतान अनिवार्य सात दिनों की अवधि में पूरा किया गया था, जबकि यह गैर-ST/SC श्रमिकों के लिए निराशाजनक (26%) था।

जाति-आधारित अलगाव का नकारात्मक प्रभाव **मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल** जैसे निर्धन राज्यों में विशेष तौर पर महसूस किया गया है ।

पंचायती राज संस्थान (PRI) की अप्रभावी भूमिका:
भारत में पंचायती राज संस्था **" राज्य – सूची"** का विषय है। भारत के अनेकों राज्यों में उस राज्य द्वारा व्यावहारिक रूप से पंचायती राज संस्था (PRI) को बहुत कम स्वायत्तता देने के कारण वह राज्य **मनरेगा** अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

कार्यों को पूर्ण करने में देरी और बड़ी संख्या में अपूर्ण कार्य :

- मनरेगा के तहत कार्यों को तय समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने में देरी हुई है और साथ – ही साथ इस परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। साथ ही, मनरेगा के तहत कार्य की गुणवत्ता और संपत्ति निर्माण का भी मुद्दा जुड़ा हुआ रहा है। फलतः बड़ी संख्या में कार्य अपूर्ण रह गया था का मामला भी सामने आता है ।

फर्ज़ी नामों को शामिल कर फर्ज़ी जॉब कार्ड का निर्माण करने जैसा मामला :

- मनरेगा के तहत फर्ज़ी नामों को शामिल कर फर्ज़ी जॉब कार्डों को बनाने जैसे मुद्दे, अनेकों नामों को गायब कर देने वाली प्रविष्टियाँ और जॉब कार्ड में प्रविष्टियाँ को शामिल करने में देरी से संबंधित कई मुद्दे हैं, जिससे इसके

सुचारू रूप से कार्य करने में चुनौतियाँ पेश आती हैं।

मनरेगा के अंतर्गत चलने वाली योजनाएं / पहल :

- **अमृत सरोवर योजना :** मनरेगा के तहत चलने वाली इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण / नवीनीकरण करना शामिल है जो सतही तथा भूमिगत दोनों जगह भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे।

- **'जलदूत' ऐप:** इस ऐप को मनरेगा के तहत होने वाले निर्माण – कार्यों में वर्ष में दो बार 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से किसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिए सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।

- **मनरेगा के लिए लोकपाल :** मनरेगा के तहत होने वाली सभी योजनाओं की ससमय कार्यांवयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग तथा वर्गीकरण के लिए फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया था

समस्या के समाधान के लिए आगे की राह:

- भारत के संविधान ने भले ही भारत में महिलाओं को सन 1950 में ही तमाम मौलिक अधिकार प्रदान कर **"समान काम के लिए समान वेतन"** लागू कर दिया हो और स्त्री – पुरुषों के बीच लैंगिक आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध कर दिया हो, किन्तु भारतीय समाज में आज भी स्त्रियों के कार्य करने की कुशलता और कौशल को कमतर करके आँका जाता है। अतः मनरेगा के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में भी स्त्रियों को भी **"समान काम के लिए समान वेतन"** मिलने को व्यावहारिक रूप से एवं धरातल पर दिखने / उतारने की जरूरत है। स्त्री – पुरुष के कामों में किसी भी तरह का भेदभाव करना एक **"समावेशी समाज के निर्माण"** में तथा **"समानतामूलक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया"** में बाधक तत्व होते हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से दूर किए जाने की जरूरत है।

- ससमय एवं पारदर्शी तरीके से वेतन भुगतान के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हुए राज्यों तथा कार्या-न्वयन एजेंसियों को निरंतर निधि – प्रवाह सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

- हाशिये पर रहने वाले SC और ST समुदायों के परिवार के सदस्यों को मनरेगा के लाभों से वंचित किए जाने वाले तमाम बहिष्करण त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित करके तथा उन क्षेत्रों की पहचान करके, जो उन्हें मनरेगा के लाभों से वंचित करता है की त्रुटियों की पहचान कर उसे तत्काल प्रभाव से दूर करने की अत्यंत जरूरत है ताकि मनरेगा योजना में निहित उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके।

- श्रमिक – संघों, नागरिक समाजों और विधानसभाओं के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को शामिल करते हुए मनरेगा योजना में निहित मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य एवं केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषदों को सशक्त बनाने की जरुरत है , साथ – ही – साथ डी. बी. टी. के माध्यम से सीधे हितग्राहियों/ हितधारकों के खाते में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी / वेतन भेजे जाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह से होने वाले भेदभाव और भ्रष्टाचार को रोका जा सके और मनरेगा योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

1. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत – सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के श्रम से जुड़े सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

2. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।

3. मनरेगा योजना भारत में अमीर और गरीब के बीच के आय – अंतर और जीवन जीने के तरीकों में व्याप्त अंतर को बबढ़ाने का काम करता है।

4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सत्र 2022-23 में 30.5% हो गई है, वहीँ महिला बेरोज़गारी दर में 3.8% से 1.8% की गिरावट आई है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 4

(B). केवल 1 , 2 और 3

(C) . इनमें से कोई नहीं।

(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (A).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम क्या है ? बैंक खाते से अपना आधार लिंक कराने से मनरेगा श्रमिकों को किस प्रकार ससमय वेतन भुगतान और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी? सविस्तार चर्चा कीजिए।

भारत – दक्षिण कोरिया रक्षा – सहयोग संबंधों की लौ को पुनर्जीवित करना

(यह लेख ' इंडियन एक्सप्रेस ', ' द हिन्दू' ,' वर्ल्ड फोकस ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, भारत- दक्षिण कोरिया रक्षा – सहयोग' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत – दक्षिण कोरिया रक्षा – सहयोग संबंधों की लौ को पुनर्जीवित करना ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन: अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, भारत- दक्षिण कोरिया रक्षा – सहयोग।

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वर्ष 2023 की G20 अध्यक्षता के दौरान सात दशक पूर्व हुए कोरियाई युद्ध में अपनी राजनयिक भूमिका के योगदान को पुनः स्मरण किया। भारत और दक्षिण कोरिया ने विगत कई वर्षों में द्विपक्षीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने आपसी संबंधों को नई ऊँचाई प्रदान की है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर आपसी समन्वय देखने को मिला। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने परीक्षण की तेज़ गति, कठोर क्वारंटीन नीति तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जैसी रणनीतियों पर गंभीरता से कार्य किया, जो भारत के लिए पथ – प्रदर्शक साबित हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मज़बूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध के अलावा गतिशील रक्षा संबंधों को भी समान महत्त्व दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में भारत और दक्षिण कोरिया (India and South Korea) ने विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic

Partnership) के तहत एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत दोनों देश एक-दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान-प्रदान के लिए कर करेंगे। हाल ही में **भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष शु वुक (Suh Wook)** के बीच दोनों देशों ने **रक्षा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और इनके संयुक्त निर्यात पर जोर देने का फैसला लिया। इस बैठक में रक्षा औद्योगिक सहयोग पर व्यापक चर्चा की गई। दक्षिण कोरिया एक मजबूत सहयोगी के तौर पर भारत को हथियारों एवं सैन्य उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। साल 2019 में भारत और दक्षिण कोरिया ने विभिन्न नौसेना प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन में सहयोग को लेकर एक रोडमैप को अंतिम रूप दिया था।**

- कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका आंशिक रूप से सफल रही, फिर भी **भारत की गणना उन देशों में की जाती है, जिन्होंने युद्ध को समाप्त करने में योगदान दिया।**

कोरियाई युद्ध का घटनाक्रम:

पृष्ठभूमि:

- इस युद्ध घटनाक्रम का संबंध वर्ष 1910-1945 के मध्य **कोरिया पर जापानी नियंत्रण** में संघर्ष की जड़ निहित है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** में जब जापान की पराजय हुई, तो मित्र देशों की सेना याल्टा सम्मेलन (1945) में "कोरिया पर फोर पॉवर ट्रस्टीशिप" स्थापित करने के लिए सहमत हुए।
- **एक ओर जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR)** ने कोरिया पर आक्रमण किया और उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, वहीं दक्षिण कोरिया अपने बाकी सहयोगियों के साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रहा।
- कोरिया को दो भागों में विभाजित करने वाली आधिकारिक सीमा **38वीं समानांतर** उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के रूप में दोनों क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया था, जो अभी भी कोरिया को दो भागों में विभाजित करने वाली आधिकारिक सीमा बनी हुई है।
- **कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)** एवं **डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया)** की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- क्षेत्रीय एवं वैचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश दोनों ही देशों ने अपने – अपने स्तर पर की, जिससे दोनों देशों के मध्य कोरियाई संघर्ष उभर कर सामने आया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **दक्षिण कोरिया और भारत के संबंध आज से नहीं बल्कि लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं।**
- **ऐसी अनेकों दंतकथाएं और अनुश्रुतियां है और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना ने कोरिया के राजा किम-सुरो से विवाह किया था। अतः दोनों देशों के बीच हुए इस वैवाहिक संबंधों के मद्देनज़र एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है।**
- **बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मुख्यतः भारत में हुई लेकिन इसका प्रसार चीन, जापान और कोरिया तक हुआ, इस प्रकार धर्म के प्रसार से हुए सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को एक-दूसरे को करीब लाते हैं।**
- **बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत के कई शासकों ने अपने दूतों को इस क्षेत्र में भेजा था साथ – ही – यहाँ के छात्र भी भारत के बौद्ध – शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे।**

भारत – दक्षिण कोरिया सहयोग के विभिन्न क्षेत्र:

राजनीतिक क्षेत्र:

- सन 1945 ई. में दक्षिण कोरिया की आज़ादी के बाद से ही भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। भारत ने हमेशा से ही दक्षिण कोरिया के मामलों में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है।
- कोरिया में चुनाव करवाने के लिए वर्ष 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के **श्री के.पी.एस. मेनन** ही नियुक्त किए गए थे।
- **कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53)** के दौरान, युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी।
- भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वर्ष 2006 में की गई कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों के एक नए दौर की शुरूआत की थी। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA)** पर निर्णय लेने के लिए एक कार्य – बल का गठन किया गया। जनवरी, 2010 को इस व्यापक आर्थिक – साझेदारी करार को प्रभावी किया गया।
- **भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2019 में की गई दक्षिण कोरियाई यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही** जब उन्हें **सियोल शांति पुरस्कार (Seoul Peace Prize)** से सम्मानित किया गया। इस तरह भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध काफी मज़बूत रहें हैं।

व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र:

- कोरिया, **भारत का 15वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है**। भारत – कोरिया गणराज्य आपसी व्यापार में पोत निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य – प्रसंस्करण तथा विनिर्माण आदि क्षेत्र प्रमुख हैं।
- कोरिया गणराज्य में भारतीय तकनीकी कंपनियों का निवेश लगभग 2 बिलियन है। वहीँ कोरिया गणराज्य की सैमसंग, हुंडई मोटर्स और एलजी जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में लगभग 3 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश किया है।
- कोरिया की छोटी-बड़ी 603 फर्में भारत में आधिकारिक रूप से कार्यरत हैं। **बहुराष्ट्रीय कोरियन कंपनी सैमसंग ने विश्व का अपना सबसे बड़ा उद्यम नोएडा में लगाकर** अपनी मंशा साफ कर दी है कि यदि भारत निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए, तो कोरिया निवेश में पीछे नहीं रहेगा।
- इसके अलावा कोरिया ने घोषणा की है कि वह भारत में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करेगा। दोनों देशों के

बीच वर्ष 2019-2020 में द्विपक्षीय व्यापार 22.52 बिलियन डॉलर हो गया।

सांस्कृतिक क्षेत्र:

- भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन किया गया।
- भारत के दिल्ली में स्थित **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय**, क्रमशः कोरिया अध्ययन एवं कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों में स्नातक – स्तर से लेकर पीएचडी पाठ्यक्रम तक का शोध कार्यक्रम संचलित कर रहे हैं।
- वर्ष 2013 में कोरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा **'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया'** की स्थापना की गई। **'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया'** एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरियाई व भारतीय शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और व्यावसायिक-प्रतिनिधियों को एकजुट कर एक मंच प्रदान करता है।
- भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहा है।

दक्षिण कोरिया में रह रहे प्रवासी भारतीय :

- कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या **लगभग 11,000 के आस-पास** है। कोरिया गणराज्य में लगभग 1000 से अधिक भारतीय शोधार्थी स्नातकोत्तर एवं पीएचडी – पाठ्यक्रमों में अध्ययन और शोध कर रहे हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी, जहाज़रानी एवं ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनेक पेशेवरों ने पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से भारत से कोरिया गणराज्य में प्रवास किया है और वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं।

भारत – दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान – परिप्रेक्ष्य :

- दक्षिण कोरिया जहाँ **नई दक्षिणी रणनीति (New Southern Policy)** के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है, वहीं भारत अपनी **लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy)** के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है।
- दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है, दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार का समझौता केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों जैसे जापान और अमेरिका के साथ ही किया है।
- वैश्विक महामारी Covid-19 के दौर में दोनों देशों के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों जैसे- टेस्टिंग किट, मास्क तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाली दवाओं का परस्पर आदान-प्रदान सुनिश्चित किया गया है।

- दक्षिण कोरिया और भारत दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की संयुक्त बैठक के साथ ही सचिव स्तर पर **2+2 डायलॉग (2 + 2 Dialogue)** जैसी वार्ता चल रही है, जिससे भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश अपने सामरिक संबंधों को लगातार मज़बूती प्रदान कर रहे हैं ,का पता चलता है।
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो भारत और दक्षिण कोरिया को आपस में महत्त्वपूर्ण धातुओं और उससे बनी वस्तुओं के नि:शुल्क आयात की अनुमति देता है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपस में **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement)** भी है।
- भारत के साथ **त्रिपक्षीय आधार पर एक परियोजना का निर्माण** दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान में कर रहा है। इसके साथ – ही – साथ वह **भारत की अफगानिस्तान नीति** का सदैव समर्थन करता रहा है।
- नई दिल्ली स्थित ' **राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम** ' के परिसर में भारत-दक्षिण कोरिया **प्रौद्योगिकी विनिमय – केंद्र (Technology Exchange – Centre)** की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से दोनों देश लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं।
- **कोरिया प्लस (Korea Plus)** का संचालन जून 2016 से दोनों देशों के बीच किया जा रहा है जिसमें दक्षिण कोरिया उद्योग, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्रालय, **कोरिया व्यापार निवेश एवं संवर्द्धन एजेंसी (Korea Trade Investment and Promotion Agency- KOTRA)** और **इन्वेस्ट इंडिया** के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- **कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम** और **प्रसार भारती** ने दक्षिण कोरिया में **दूरदर्शन इंडिया चैनल** तथा **भारत में कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल** के प्रसारण की सुविधा देने के साथ ही भारत – दक्षिण कोरिया के बीच के आपसी सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी आपस में सहमति जताई है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों में चुनौतियाँ:

- **दक्षिण कोरिया का भारत की अपेक्षा चीन से आपस में व्यापार लगभग 10 गुना अधिक है।** अतः हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही भारत, दक्षिण कोरिया के साथ समझौता करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन को दरकिनार करना चाहता है लेकिन एक निर्विवाद सत्य यह भी है कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है, इसलिये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार अपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर पा रहा है।
- विगत कुछ वर्षों में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के आपसी संबंध सामान्य हुए हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जाता है कि **उत्तर कोरिया तथा पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर साझेदारी है जो भारत के लिहाज़ से चिंता का विषय है।**
- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परिणा-मस्वरूप नस्लीय भेद-भाव पर आधारित घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी तो थी , लेकिन वह सहमति अभी कागजों पर ही सीमित है या ऐसा कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में खास प्रगति नहीं हुई है।
- **इण्डो-पैसिफिक क्षेत्र** का विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है लेकिन भारत का इन द्विपीय देशों से संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए. जो भविष्य में सामरिक और व्यापारिक दोनों ही क्षेत्रों में भारत के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है।

भारत-दक्षिण कोरिया एक-दूसरे के पूरक:

- एक ओर जहाँ भारत अपनी **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** को अमली जामा पहनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया भी अपनी **'नई दक्षिण नीति'** के अनुसार वो **उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अपने सामरिक और व्यापारिक संबंध मज़बूत करेगा।**

- भारत की आबादी दक्षिण कोरिया से **24 गुना अधिक** है जबकि **प्रति-व्यक्ति जीडीपी** के मामले में यह दक्षिण कोरिया का महज **16वाँ हिस्सा** ही है। इस प्रकार दोनों के रिश्ते एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं क्योंकि जहाँ दक्षिण कोरिया के पास **उन्नत तकनीक और विशेषज्ञों के साथ पूँजी मौजूद है**, वहीं भारत के पास **बहुत बड़ा बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता है** जिसका लाभ दोनों देश उठा सकते हैं। जिससे दोनों ही देश आपस में अपनी सामरिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बना सकते हैं।

- **भारत के विपरीत दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पूर्णतः समुद्र से होने वाले आयात पर निर्भर है, जबकि भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही प्रायद्वीपीय देश हैं।** ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रसूख के बीच समुद्री यातायात की सुरक्षा में दोनों देशों का साझा हित शामिल है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी हितों का तालमेल तकनीक हस्तांतरण को भी आसान बनाता है।

- हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा सियोल के लिए कारगर साबित हो सकता हैं। वहीं दक्षिण कोरिया की जहाज निर्माण क्षमताएँ भारत के लिए सहायक साबित हो सकती है। भारत में सैन्य और कारोबारी इस्तेमाल के लिए पोत निर्माण आधुनिकीकरण में दक्षिण कोरिया का सहयोग **'लाभ का सौदा'** साबित हो सकता है।

- ड्रोन से लेकर एअर डिफेंस गन और सीमा की निगरानी की कारगर प्रणालियों तक साझेदारी के ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर दोनों देश आपस में वार्ता कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के साथ लगने वाले डीमिलिट्राइज्ड जोन में दक्षिण कोरिया ने जिस तरह निगरानी के संवेदनशील सिस्टम विकसित किए हैं वो अगर भारत को प्राप्त हो जाएँ तो पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने में भारत के लिये कारगर साबित हो सकते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया मिसाइल एअर-डिफेंस सिस्टम के साझा विकास और उत्पादन को लेकर भी बात कर रहे हैं।

- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश इंडो-पैसिफिक नीति के समर्थन में हैं और तो और, **भारत की एक्ट ईस्ट नीति** की तरह **दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति** का उद्देश्य भी दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनयिक, और सामरिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण करना है।

- अमेरिका-चीन में बढ़ते व्यापार युद्ध को देखते हुए भारत को नये बाजार की आवश्यकता है। ऐसे में भारत दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- वैश्विक स्तर पर शांति व सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों को अपना योगदान देने के लिए वर्तमान में जिस तरह दोनों देशों के बीच के आपसी संबंध प्रगाढ़ हो रहें हैं, वह दोनों ही देशों की आपसी सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की आपसी आवश्यकताओं और जरूरतों की ओर वैश्विक जगत का ध्यान अपनी ओर इंगित / आकर्षित कर है लेकिन इसे अभी और आगे ले जाने की ज़रूरत है जिससे विश्व शांति व सुरक्षा में ये दोनों ही देश अपना योगदान दे सकें।

- भारत की **'एक्ट ईस्ट नीति'** तथा दक्षिण कोरिया की **'नई दक्षिण नीति'** को बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिए मज़बूत करने की अभी और आवश्यकता है।

- अपनी सामरिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और रक्षा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और इनके संयुक्त निर्यात पर जोर देने के लिए भारत को दक्षिण कोरिया को अपने अति प्राथमिकता वाले देशों में शामिल करने की जरुरत है क्योंकि दक्षिण कोरिया एक मजबूत सहयोगी के तौर पर भारत को हथियारों एवं सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रहा है। अतः भारत और दक्षिण कोरिया को वर्तमान में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कदम से कदम मिलकर चलने की जरूरत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 दक्षिण कोरिया और भारत दोनों देशों के बीच चलने वाली 2+2 डायलॉग (2 + 2 DIALOGUE) क्या है ?

(A) दक्षिण कोरिया और भारत के बीच चलने वाली एक रेल – परियोजना।

(B) दक्षिण कोरिया और भारत के बीच नौसेना प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन में सहयोग को लेकर बनी एक रोडमैप।

(C) नई दिल्ली स्थित ' राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम ' के परिसर में भारत-दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय – केंद्र (Technology Exchange – Centre) की स्थापना।

(D) दक्षिण कोरिया और भारत दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की संयुक्त बैठक के साथ ही सचिव स्तर पर चलने वाली वार्ता।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q.1. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपस में ' व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता ' क्या है? भारत – दक्षिण कोरिया के बीच के सामरिक , सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा कीजिए कि भारत की ' एक्ट ईस्ट नीति ' तथा दक्षिण कोरिया की ' नई दक्षिण नीति ' बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत – मालदीव संबंध

(यह लेख ' द हिन्दू ', ' वर्ल्ड फोकस ', ' इंडियन एक्सप्रेस ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत – मालदीव संबंध ' खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत – मालदीव संबंध ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन : अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत – मालदीव संबंध।

चर्चा में क्यों ?

मालदीव के पानी में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सेवाओं के लिए भारत के साथ एक समझौते को रद्द करने के मालदीव के हालिया निर्णय ने भारतीय मीडिया और सामरिक जगत में काफी निराशा पैदा कर दी है। **2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की द्वीप यात्रा के दौरान जुड़े इस समझौते को भारत-मालदीव रक्षा संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा गया था।**

हिन्द महासागर में स्थित में मालदीव ,भारत का पड़ोसी और भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित देश है। मालदीव में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीनी समर्थक मोहम्मद मुइज्जू का मालदीव का राष्ट्रपति के रूप में अनंतिम रूप से चुना जाना भारत के लिए चिंता का विषय है। COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए द्वीपों पर तैनात भारतीय सैनिकों को भारत वापस बुला लेने के मामले में लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव में गठित नई सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। दुबई में शिखर सम्मेलन में यह बात श्री मुइज्जू ने तब की, जब उन्होंने मालदीव में अपने चुनावी अभियान के दौरान ' **इंडिया आउट** ' को नारे के रूप में प्रयोग किया था। अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह के खिलाफ **54 प्रतिशत** वोटों के साथ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के

विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में यह जीत हासिल किया है।

- महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्राँस और मालदीव की चुनावी – प्रणाली प्रक्रिया एक समान है। इस चुनावी – प्रक्रिया में चुनाव जीतने और चुनाव में विजेता बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है । इस प्रक्रिया के पहले राउंड में यदि कोई भी उम्मीदवार इस आँकड़ा को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में चुनाव में विजेता की घोषणा प्राप्त हुए मतों के दूसरे राउंड में प्राप्त मतों में से शीर्ष दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के आधार पर किया जाता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

- औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता से सन 1965 ई. में मालदीव को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भारत एकमात्र वह पहला देश था जिसने मालदीव की स्वतंत्र सता / स्वतंत्रता को स्वीकार किया और मालदीव से भारत ने अपने आपसी सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध स्थापित किए।
- मालदीव ने सन 2004 ई. के नवंबर महीने में अपने राजनयिक संबंधों को भारत से सुधारने और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक उच्चायोग की स्थापना की ताकि भारत – मालदीव संबंधों के राजनयिक मिशन को नया आयाम प्रदान किया जा सके।
- श्रीलंका के प्रति संतुलन संतुलन की दृष्टि अपनाते हुए भारत के साथ मित्रता के संबंधों को और भी मजबूत किया क्योंकि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और सबसे बड़ा आपसी व्यापारिक भागीदार देश भी है।

चीन का मालदीव के आंतरिक मामलों में बढ़ता हस्तक्षेप और भारत-मालदीव संबंध :

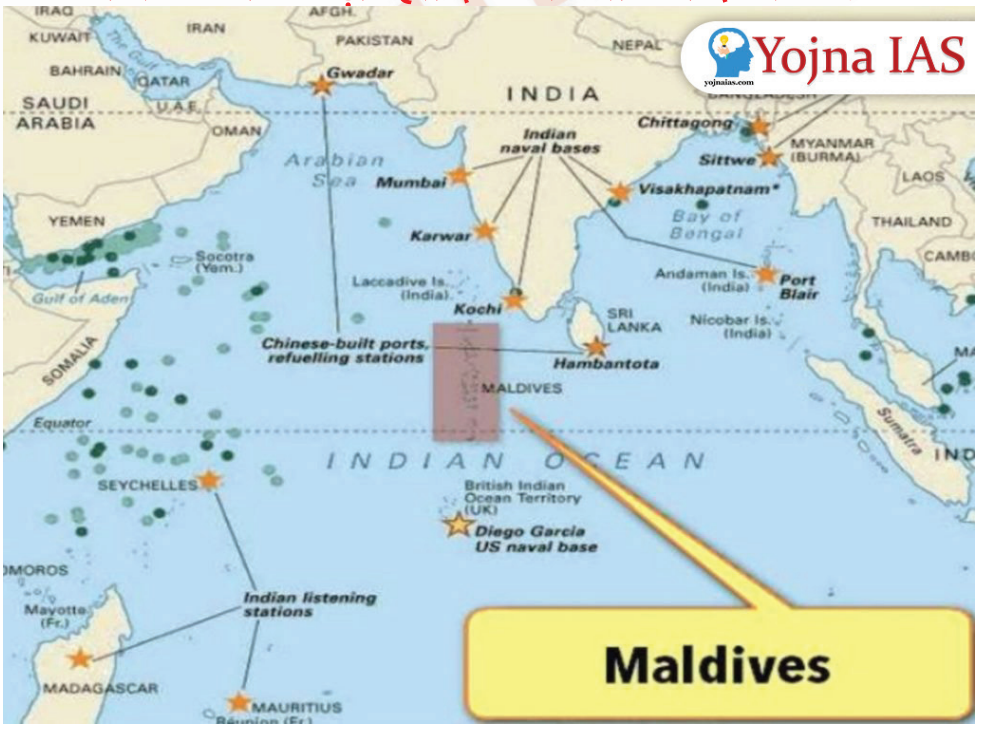

सौहार्दपूर्ण और मैत्री – संबंधों में बदलाव की पहल :

बदले राजनीतिक परिदृश्य में मालदीव की पारंपरिक विदेश नीति में चीन समर्थक रुख के कारण हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आया है, क्योंकि मालदीव की वर्तमान समय की विदेश नीति से पहले की विदेश नीति का झुकाव भारत की ओर और मैत्रीपूर्ण अधिक था । वर्तमान राष्ट्रपति के सत्ता संभालते ही मालदीव की विदेश नीति में

हुए हालिया परिवर्तन ने भारत से सटे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसके राजनीतिक एवं रणनीतिक दखलंदाजी को देखते हुए भारत के लिए चिंता और आशंका उत्पन्न कर दी है जो भारत का मालदीव के प्रति विदेश नीति के लिए चिंताजनक है।

अवसंरचनात्मक निवेश:

- हिंद महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे हेतु मालदीव कई अन्य देशों की तरह ही चीन से बहुत अधिक मात्रा में निवेश प्राप्त करता रहा है।
- चीन ने मालदीव में बड़े पैमाने पर अपना अवसंरचनात्मक रूप से निवेश किया है जिससे चीन के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** में मालदीव भागीदार बन गया है। मालदीव में पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास सहित अन्य विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं निर्माण में चीन ने ' **स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स** ' पहल के तहत अवसंरचनात्मक रूप से निवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के चिंता का सबब :

- **हिंद महासागर क्षेत्र**, के अंतर्गत या आसपास आने वाले भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव जैसे देशों में चीन का बढ़ता आंतरिक हस्तक्षेप पर भारत ने चिंता व्यक्त किया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में चीन द्वारा किए जा रहे सैन्य सुविधाओं का विकास एवं चीन के द्वारा नियंत्रित बंदरगाहों को भारत के रणनीतिक हितों व क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत के लिए आने वाले भविष्य में चिंता का सबब बन रहा है।

भारत के जवाबी उपाय :

- मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का करार जवाबी उत्तर देते हुए भारत ने भी मालदीव और अन्य हिंद महासागर देशों के साथ आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की हैं एवं रक्षा सहयोग का विस्तार किया है।अपने राजनयिक व रणनीतिक संबंधों को मज़बूत किया है। इसने संबद्ध क्षेत्र में अपने व्यापक प्रभाव के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की है, आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की हैं एवं रक्षा सहयोग का विस्तार किया है।
- भारत द्वारा शरू किया गया **"नेबरहुड फर्स्ट"** नीति का उद्देश्य ही भारत के पडोसी देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति को नियंत्रित और संतुलित करना है।

मालदीव के विदेश नीति का बदलता स्वरुप :

इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का वर्ष 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के साथ ही **मालदीव की विदेश नीति में एक बार फिर से भारत के प्रति सकारात्मक बदलाव देखा गया था , क्योंकि** मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को भारत के प्रति समर्थक के रूप में जाना जाता है। मालदीव में सोलिह की सरकार ने भारत के साथ अपने पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंधों को बरक़रार रखते हुए भारत और चीन के बीच संबंधों को पुनः संतुलित करने का प्रयास किया था।

भारत के लिए मालदीव का सामरिक महत्त्व:

- मालदीव की **हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति**, प्रमुख समुद्री मार्गों के साथ – ही साथ इसे भारत और चीन दोनों ही देशों के लिए सामरिक, व्यापारिक और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है। फलतः भारत और चीन दोनों ही देश मालदीव में घटने वाली हर महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखेंगे तथा भारत और चीन दोनों ही देश वहां अपना – अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

जलवायु परिवर्तन से मालदीव पर होने वाले प्रभाव : –

- मालदीव और भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार ये दोनों ही देश निचले द्वीप राष्ट्र हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्री गर्मी की लहरों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मालदीव के समुद्र में डूब जाने का ख़तरा मंडरा रहा है।अतः भारत और मालदीव दोनों ही देश जलवायु परिवर्तनों से उत्पन्न होने खतरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं ताकि दोनों ही देशों के साझा हितों की रक्षा की जा सके।

समस्या का समाधान :

- **हिंद – प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र में,** क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में **महत्त्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए भारत को**अपने विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए एक **महत्त्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाते हुए एक निरीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए।**
- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र** को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों (विशेष रूप से चीन) की वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- फ़िलहाल मालदीव में उसकी सीमित आबादी द्वारा **'इंडिया आउट'** अभियान को समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन यह भी सच है कि इस अभियान को भारत सरकार द्वारा कम करके नहीं आँका जाना चाहिए , क्योंकि मालदीव का मौजूदा राष्ट्रपति इसी चुनावी नारे के सहारे मालदीव का राष्ट्रपति बना है ।
- मालदीव के साथ भारत के वर्तमान रणनीतिक और सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए **'इंडिया आउट' अभियान का सावधानीपूर्वक समाधान जरुरी है**। यदि इस समस्या का सावधानीपूर्वक समाधान नहीं निकाला गया तो मालदीव की वर्तमान आतंरिक और घरेलू राजनीतिक स्थिति इस देश के साथ भारत के वर्तमान संबंधों में अनेकों बाधा उत्पन्न कर भविष्य में भारत – मालदीव संबंधों में खटास पैदा कर सकती है।
- बहु-ध्रुवीय और नियम – आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की भारत की पुरानी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने पड़ोसी देशो के साथ वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सामरिक और रणनीतिक संबंधों को स्थापित करने या उसे बहल करने के लिए एक उदार रुख अपनाये रखना चाहिए।
- भारत पर मालदीव की आर्थिक – निर्भरता बढ़ाने के लिएऔर उससे होने वाले ढांचागत बदलाव की निर्भरता को बढ़ने के लिए भी **प्रोजेक्ट मौसम** को भी अधिक से अधिक स्थान दिए जाने की जरूरत है, जिससे मालदीव की भारत पर आर्थिक और ढांचागत दोनों ही प्रकार की निर्भरता बढे और भारत मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोक सके ।
- शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिए मालदीव के लोगों के लिए भारत एक पसंदीदा देश है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिकों द्वारा उच्च शिक्षा और इलाज के लिए भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की माँग बढ़ती जा रही है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. आठ डिग्री चैनल भारत और मालदीव को किस द्वीप समूह से अलग करता है ?

(A). भारतीय मिनिकॉय (लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा) को मालदीव से अलग करता है।

(B). अंडमान और निकोबार को मालदीव से अलग करता है।

(C) . सुमात्रा और जावा को मालदीव से अलग करता है।

(D). निकोबार और सुमात्रा को मालदीव से अलग करता है।

उत्तर – (A).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . मालदीव में हुए हालिया राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के आलोक में यह चर्चा कीजिए कि यह भारत और मालदीव के आपसी रणनीतिक , आर्थिक और सामरिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करेगा ?

उल्फा – संधि: सुरक्षा उपायों पर त्रिपक्षीय व्यापक और प्रभावी समझौता

(यह लेख ' द हिन्दू ', ' इंडियन एक्सप्रेस '' वर्ल्ड फोकस ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था,उग्रवाद , माओवाद , आतंकवाद आतंरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' उल्फा – संधि: सुरक्षा उपायों पर त्रिपक्षीय व्यापक और प्रभावी समझौता ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन : उग्रवाद , माओवाद , आतंकवाद, देश की आतंरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा।

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) का एक वार्ता समर्थक गुट तथा असम सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), ने असम और उसके आसपास के क्षेत्रों से उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में एक आपसी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब यह है कि पारेष बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा (स्वतंत्र) गुट अभी भी इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के विरुद्ध है।

क्या है उल्फा ?

- **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)** की उत्पति या जन्म असम राज्य के बाहर से आए अप्रवासी लोगों के विरोध में एक अप्रवासी विरोधी आन्दोलन के रूप में हुआ था।
- इस अप्रवासी आन्दोलन की शुरुआत सन 1979 ई. में असमिया भाषा बोलने वाले असमिया लोगों के लिए एक अलग और संप्रभु असमिया राज्य के गठन की मांग को लेकर हुआ था। जो धीरे -धीरे अपने आन्दोलन के स्वरुप में ही हिंसक , उग्र और सशस्त्र संघर्ष की राह को अपना लिया।

उल्फा का मुख्य ध्येय / उद्देश्य :

- उल्फा का मुख्य उद्देश्य ही भाषा के आधार पर असमिया भाषी लोगों के लिए **संप्रभु असमिया राष्ट्र का निर्माण सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से** करना था। अलग संप्रभु असमिया राष्ट्र के निर्माण के लिए पहले तो उल्फा समर्थकों ने वहां के मजबूर और जरूरतमंद लोगों की मदद की और उसका नैतिक समर्थन प्राप्त किया और फिर धीरे – धीरे इन लोगों ने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से जबरन वसूली, अपहरण, बम – विस्फोट करना और लोगों को जबरदस्ती फाँसी पर लटका देने जैसा अमानवीय , अलोकतांत्रिक और हिंसक मार्ग अपना लिया।

उल्फा के प्रति केंद्र – सरकार की प्रतिक्रिया:

- तत्कालीन केंद्र – सरकार ने असम में इस तरह की बढती हिंसा को देखते हुए पहले तो असम में राष्ट्रपति शासन लगाकर असम राज्य को एक **' अशांत क्षेत्र '** घोषित किया और **सन 1990 ई.** में **'ऑपरेशन बजरंग '** शुरू कर तक़रीबन 1200 से भी अधिक उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार कर **असम में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू (अस्फ्फा)** लागू कर दिया था।

उल्फा का भौगोलिक विस्तार:

- उल्फा का भौगोलिक विस्तार पहाड़ों के दुर्गम इलाके , जंगलों और घने और गहरे जंगली पहाड़ियां में स्थित शिविर केरूप में है जो सीमापार उग्रवादी और आतंकवादी शिविरों के रूप में कार्य करते हैं । ये शिविर इन उग्रवादियों के लिए ट्रेनिग – सेंटर, उग्रवादी गतिविधियों के लिए लांच पैड और विरामगाह (आश्रय – स्थल) जैसे विभिन्न कार्यों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार भूटान , म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इन उग्रवादी संगठनों का संबंध कट्टर इस्लामी संगठन **'अल – कायदा'** और **पाकिस्तान की प्रमुख ख़ुफ़िया एजेंसी (आईएसआई)** से भी रहा है। यह भी तथ्य सामने आया है कि **पाकिस्तान की प्रमुख ख़ुफ़िया एजेंसी (आईएसआई)** ने पूर्व में इन उल्फा उग्रवादियों को भारत में आंतरिक अशांति फ़ैलाने के लिए इन्हें प्रशिक्षित भी किया था। भारत – पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल – युद्ध में उल्फा उग्रवादियों ने अपनी मासिक पत्रिका **" स्वाधीनता "** में भारत के विरुद्ध लिखकर पाकिस्तान द्वारा भारत में किए गए **" कारगिल में अवैध – घुसपैठ"** के लिए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इस उग्रवादी संगठन का अभी भी म्यांमार में ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है।

उल्फा के उदय का मुख्य ऐतिहासिक कारण:

- पूर्वोत्तर के राज्यों में और असम राज्य में 19वीं सदी से ही वहां के मूल निवासी से इतर हर जगह के लोगों का प्रवासन और आगमन होता रहा है, जिससे वहां के मूल निवासियों की संस्कृति और उनके आचार – व्यव-हार और खान – पान की संस्कृति में इस प्रवासियों के संपर्क में आने से परिवर्तन आया है। इन प्रवासियों के आगमन से वहां के मूल निवासियों में असुरक्षा की भावना भी बलवती होती गई।

- सन 1947 ई. में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से भागे इन शरणार्थियों के पलायन के कारण इस क्षेत्र की स्थिति दिन – ब – दिन बाद से बदतर होती चली गई ।

- इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए हुए आपसी प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र के मूल निवासियों और प्रवा-सियों के बीच एक अघोषित जंग छेड़ दी , फलतः सन 1979 से एक लंबा जन – संघर्ष और जन आन्दोलन शुरू हो गया जो तक़रीबन 6 सालों तक लम्बे समय तक चला ।

- पूर्वी – पाकिस्तान में शुरू हुए **' बांग्लादेश मुक्ति – संग्राम '** के कारण और भारत की केन्द्रीय सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा **' बांग्लादेश मुक्ति – संग्राम '** को समर्थन दिए जाने के कारण भी इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय सीमा पार करनी पड़ी, जिससे प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई ।

- उल्फा के उग्रवादियों द्वारा इस क्षेत्र में अशांति फ़ैलाने के लिए थाईलैंड और म्यांमार से हथियार खरीदना,

अवैध पासपोर्ट जारी करना और इन उग्रवादियों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित करवाने के लिए कट्टर धार्मिक संगठनों का उपयोग बाहरी समर्थन के रूप में लेने से भी इस क्षेत्र की स्थिति बदहाल हो गई।

उल्फा के उदय का राजनीतिक कारण :

- **एजीपी (असम गण परिषद)** का राजनितिक रूप से उपयोग करना और उल्फा के आतंकवादियों के सामने एक घुटने टेक देना या इसके प्रति निष्क्रिय बने रहना सरकार की राजनीतिक मजबूरी के रूप में देखा गया और साथ ही वहां की स्थानीय सरकार द्वारा उल्फा आतंकवादियों को अपनी राजनीतिक विरासत की रक्षा हेतु दूसरी पंक्ति के रूप में उपयोग करना भी शामिल था।
- **सन 1985 ई.** में हुए एजीपी की चुनावी जीत और असम समझौते पर हुए हस्ताक्षर को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ ही बताया जाता है।

उग्रवाद प्रभावित अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयास :

- **पीसीजी –** पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप ने 2005 में उल्फा द्वारा गठित 11 सदस्यीय समूह/ समिति का गठन किया और इस समिति ने तीन दौर की वार्ता में मध्यस्थता करने का प्रयास किया था।
- इस समिति में **ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका और प्रसिद्ध बुद्धिजीवी स्वर्गीय इंदिरा रायसोम गोस्वामी** भी शामिल थीं ।
- उल्फा के चर्चा से बाहर निकलने और आतंक की एक नई लहर शुरू करने से पहले इसने 3 दौर की वार्ता में मध्यस्थता की।
- **सन 2008 ई. में** अरबिंद राजखोवा जैसे कुछ उल्फा कमांडरों ने शांति वार्ता के लिए प्रयास किया, जबकि परेश बरुआ द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्हें राजखोवा संगठन से निष्कासित कर दिया गया, जिससे उल्फा में विभाजन हो गया और यह दो गुट में विभाजित हो गया।
- **सन 2011 ई.** में, शांति वार्ता समर्थक गुट ने असम सरकार और एमएचए के साथ ऑपरेशन के निलंबन (एसओओ) पर हस्ताक्षर किया था।
- **सन 2012 ई.** में , उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी 12-सूत्रीय चार्टर मांगें सौंपी , जिसका अंततः 2023 में जवाब दिया गया।
- **सन 2023 ई.** में राजखोवा के गुट और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के बीच शांति समझौते पर चर्चा हुई, जिससे हाल ही में त्रिपक्षीय शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और यह त्रिपक्षीय शांति समझौता के रूप में परिणत हो गया। इससे यह उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले समय में असम में आंतरिक शांति बहाल हो पायेगी।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का महत्व:

आंतरिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना :

- इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से असम में आंतरिक शांति , लोगों की जान – माल की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ – ही – साथ उग्रवादी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों पर भी रोक लगाने की उम्मीद है।

विकास और प्रगति की राह पर अग्रसर करने पर जोर :

- इस त्रिपक्षीय शांति समझौते से असम के साथ ही आस पास के पूर्वोत्तर राज्यों को भी अब विकास और प्रगति की नई राह और नए प्रतिमान गढ़ने पर जोर दिया जा रहा है । इसके लिए इस क्षेत्र में ₹1.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया था, ताकि यह क्षेत्र भी भारत के अन्य राज्यों की तरह ही मुख्यधारा में शामिल होकर

विकास और प्रगति की नई इबारत लिख सके।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन:

- उल्फा की 12 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा, ऐसा विश्वास केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा।

उग्रवादी संगठन और हिंसक समूहों का आत्मसमर्पण:

- **इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से असम में लगभग 9000 से अधिक कट्टर उग्रवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है।** जिससे उसे मुख्यधारा में शामिल कर और जीवकोपार्जन के रोजगार मुहैया कर-वाकर मुख्य धारा की राजनीति और समाज में शामिल किया जा सकता है और वहां शांति बहाल की जा सकती है।

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून का राज की अवधारणा की विजय:

- उल्फा के उग्रवादियों ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत में कानून के तहत चलने वाली राजव्यवस्था द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भी अपनी सहमति व्यक्त करते कानून के राज के तहत कार्य करने का आश्वासन एवं विश्वास दिलाया है।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन और सरकार की राह में चुनौतियाँ:

अधूरा एवं अपूर्ण शांति समझौता :

- उल्फा-आई का दूसरा गुट इस समझौते के विरोध में है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला दूसरा गुट उल्फा-आई जिसे लगभग 100 कट्टर कैडरों का समर्थन प्राप्त है, अभी इस शांति प्रक्रिया के समझौता में शामिल नहीं हुआ है।जिससे निकट भविष्य में इस क्षेत्र में अशांति बनी ही रह सकती है की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उल्फा का भारत के सीमा पार पर अभी भी अस्तित्व बरक़रार :

- उल्फा का भारत की सीमा से सटे अन्य पड़ोसी देशों के साथ ही इसका भौगोलिक विस्तार भूटान , म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इन उग्रवादी संगठनों का संबंध **कट्टर इस्लामी संगठन 'अल – कायदा '** और ' **पाकिस्तान की प्रमुख ख़ुफ़िया एजेंसी (आईएसआई) '** से भी रहा है। यह भी तथ्य सामने आया है कि **पाकिस्तान की प्रमुख ख़ुफ़िया एजेंसी (आईएसआई)** ने पूर्व में इन उल्फा उग्रवादियों को भारत में आंतरिक अशांति फ़ैलाने के लिए इन्हें प्रशिक्षित भी किया था। कुछ समय पूर्व तक उल्फा का भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी शिविर था और इसका अभी भी म्यांमार में शिविर और ट्रेनिंग सेन्टर है। फलत: इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने और आम सहमति बन जाने के बाद भी उल्फा का भारत के सीमा पार पर अभी भी अस्तित्व बरक़रार रहना भारत के लिए आंतरिक शांति और सुरक्षा तथा उग्रवाद की दृष्टिकोण से चिंता का विषय है।

उल्फा का विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ सहायक संबंध:

- उल्फा का असम के साथ – ही – साथ पूर्वोत्तर और म्यांमार के कई आतंकवादी और विद्रोही संगठनों के साथ – साथ **कट्टरपंथी धार्मिक और इस्लामिक संगठन ' हरकत- उल – जिहाद – ए- इस्लामी '** और **'अल – कायदा '** जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों से संबंध रहे हैं, जो भारत की आतंरिक उग्रवाद और बाह्य आतं-कवाद दोनों ही सुरक्षा के लिए चिंता का कारण / विषय है।

समस्या समाधान की राह:

केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार अपना वादा पूरा करें:

- केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को उल्फा और उसके अत्याचार से प्रभावित समुदायों की निहित चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शांति समझौते के दौरान किए गए सभी वादों को पूर्ण रूप से पूरा करने

की जरूरत है।

शांति – प्रक्रिया की बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए :

- केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को उल्फा से पीड़ित आम जनमानस को एक व्यापक और संपूर्ण शांति प्रक्रिया की बहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र की आम जनता और जनमानस में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास पैदा हो और वे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकें।

सांस्कृतिक ,आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को पूर्ण रूप से आत्मसात करके :

- व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रमों और उस क्षेत्र के लोगों के लिए सांस्कृतिक ,आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के समर्थन को हासिल करके उस क्षेत्र के संपूर्ण जनता को मुख्यधारा में शामिल करना भी सरकार सुनिश्चित करें।

अनवरत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना :

- केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार यह अनवरत सुनिश्चित करते रहें कि इस समझौते में शामिल सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन अनवरत करते रहें और इसमें केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा नीस त्रिपक्षीय समझौता के नियमों की अनवरत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

पारेष बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा-1 (स्वतंत्र) गुट को समाप्त करना :

चीन द्वारा म्यांमार सरकार के सहयोग से **पारेष बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा-1 (स्वतंत्र) गुट** को दिए जाने वाले किसी भी समर्थन का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को राजनयिक एवं रणनीतिक स्तर पर अपनी विदेश नीति का लाभ उठाया जाना चाहिए और पारेष बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा-1 (स्वतंत्र) गुट को सदा के लिए समाप्त या उन्मूलन कर देना चाहिए ताकि असम और भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में अमन चैन की बहाली सुनिश्चित हो सके और असम और भारत के पूर्वोत्तर के राज्य विकास और प्रगति के मार्ग पर चलते हुए विकास की एक नई महागाथा लिख सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. इस आन्दोलन की शुरुआत सन 1979 ई. में असमिया भाषा बोलने वाले असमिया लोगों के लिए एक अलग और संप्रभु असमिया राज्य के गठन की मांग को लेकर हुआ था।

2. पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप समिति में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका और प्रसिद्ध बुद्धिजीवी स्वर्गीय इंदिरा रायसोम गोस्वामी भी शामिल थीं ।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1

(B). केवल 2

(C). न तो 1 और न ही 2

(D). 1 और 2 दोनों।

उत्तर – (D).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उल्फा त्रिपक्षीय समझौता संधि क्या है? भारत की आतंरिक और बाह्य शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से

सेबी का परिरक्षण / रक्षा / बचाव

(यह लेख ' द इकॉनोमी टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' , ' द हिन्दू ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, गरीबी और विकास – संबंधी मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' सेबी का परिरक्षण / रक्षा / बचाव ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन : भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, गरीबी और विकास – संबंधी मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

चर्चा में क्यों ?

उच्चत्तम न्यायालय के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि – " भारत के उच्चतम न्यायालय को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। तहः भारत के सुप्रीम कोर्ट को सेबी द्वारा किए जा रहे जाँच – प्रक्रिया पर अविश्वास जाहिर करते हुए इस मामले को सेबी की द्वारा गठित जाँच एजेंसी से लेकर एसआईटी को इस जांच – प्रक्रिया को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सेबी की नीतिगत कार्रवाइयों की समीक्षा न करते हुए इस पर और अधिक कार्य करने के लिए दबाव डालना चाहिए था। न्यायालय निश्चित रूप से पिछले उदाहरणों से अवगत है जहां उसने पाया है कि सेबी प्रवर्तन में तत्परता नहीं दिखा रहा है, इस मामले में नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने भी इस पहलू को चिह्नित किया है। आख़िरकार, **'न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।"**

क्या था मामला ?

हाल ही में अदाणी समूह के शेयरों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अदाणी समूह पर शेयरों के मूल्य में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्य में भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को अपना निर्णय सुनाते हुए सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। वहीं मामले की जांच को SEBI से लेकर SIT को देने से भी इनकार कर दिया है।

सेबी द्वारा गठित जाँच समिति ने जांच में अब तक क्या – क्या पाया ?

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी गठित की थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। सेबी को 2 मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया था, अर्थात सेबी को अपनी जांच – रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय दिया गया था। 14 अगस्त 2023 को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और अतिरिक्त समय मांगा और 25 अगस्त 2023 को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जाँच – रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जिसमें बताया गया कि 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी हैं और 2 मामलों की जाँच अभी भी अधूरी हैं। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह माना था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में अभी सही मानने की कोई भी जरूरत नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी ।

सेबी की उद्देशिका :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) की उद्देशिका में सेबी के मूल कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है –

- प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना।
- प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

क्या है सेबी ?

- सेबी (SEBI) का पूरा नाम **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)** है। यह एक वैधानिक निकाय / संस्था (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है, जो भारतीय पूँजी बाजार के कामकाज को नियमित करती है और इसके साथ ही यह शेयर बाजार में शेयर के लेन- देन को तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित मुद्दे को भी नियंत्रण करती है| इसका प्रमुख कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और समय – समय पर विभिन्न नियमों और विनियमों को लागू करके भारतीय पूँजी बाजारों को विकसित करना है। भारत का शेयर बाजार इसी संस्था के दिशा – निर्देशों पर चलता है|
- सेबी एक स्वायत्त संगठन है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासन के तहत काम करता है।

सेबी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- भारत में सेबी की स्थापना से पूर्व **भारतीय पूँजी बाजार कंट्रोलर ऑफ़ कैपिटल इश्यूज की एक नियामक प्राधिकरण** द्वारा संचालित होती थी। जिसको भारत में शेयर बाजार से संबंधित सभी मुद्दे को सुलझाने एवं निपटान करने के लिए **पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम (Capital Issues (Control) Act,) 1947** के तहत अधिकार प्रदान किया गया था। **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)** की स्थापना **12 अप्रैल 1988** में हुई और **भारत सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी –**

अधिनियम 1992 के तहत इसको 30 जनवरी 1992 ई. को वैधानिक मान्यता भी प्रदान कर दिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, हैदराबाद, शिमला, जयपुर और लखनऊ में इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है।

सेबी का कार्य :

- भारत में सेबी (SEBI) एक वैधानिक संस्था होने के कारण इसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने की शक्तियां प्राप्त है । सेबी 1992 अधिनियम के नियामक निकाय में वर्णित / निहित ऐसी शक्तियों की एक सूची दी गई है। सेबी का मुख्य कार्य ही इसे भारत में प्रतिभूतियों को जारी करने वाला प्रमुख प्रतिभूति – जारीकर्ता, निवेशकों और व्यापारियों के हितों का रक्षक और एक वित्तीय – मध्यस्थ करने वाली संस्था के रूप में इसे एक महत्वपूर्ण निकाय/संस्था के रूप में प्रतिस्थापित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कानून (Act) के अनुच्छेद 11 में सेबी के कार्यों को मुख्य रूप से तीन आधार पर बाँटा गया है। जो निम्नलिखित प्रकार के हैं –

- **सुरक्षात्मक कार्य (Protective Function)**
- **विनियामक कार्य (Regulatory Functions)**
- **विकासात्मक कार्य(Development Functions)**

सुरक्षात्मक कार्य (PROTECTIVE FUNCTION)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सुरक्षात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों में व्यवसाय के कामकाज पर नज़र रखना और निगरानी करना है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल है –

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में शेयर मूल्यों के हेराफरी की जाँच करता है।
2. यह भारत में भारत के बाहर से होने वाले शेयर अंदरूनी – व्यापार (Insider trading) को रोकता और अधिनियमित करता है।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अपने सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत यह भारत में निष्पक्ष शेयर के लेनदेन को बढ़ावा देता है।
4. यह भारत में शेयर- बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को जागरूकता प्रदान कर शेयर बाजार के जोखिमों के प्रति जागरूक बनाता है।
5. अपने सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजार में होने वाली धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से होने वाली प्रतिभूति के लेनदेन को रोकता और नियंत्रित करता है।

2. विनियामक कार्य (REGULATORY FUNCTIONS) :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अपने विनियामक कार्य के अंतर्गत शेयर बाजार में निवेश करने वाले सेबी निवेशकों तथा अन्य वित्तीय प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करता है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल है –

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट कंपनियों या कॉर्पोरेट घरानों को

उचित तरीके से काम करने का दिशा – निर्देश देती है और वित्तीय लेनदेन के लिए आचार – संहिता का निर्माण भी करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के एक प्रमुख कार्य में यह भारत में प्रतिभूति के लेनदेन की जांच करना और प्रतिभूतियों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करना भी शामिल है।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट कंपनियों या कॉर्पोरेट घरानों और शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को एक मंच प्रदान या प्लेटफार्म की व्यवस्था प्रदान करता है ताकि वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर, बैंकर, स्टॉक – ब्रोकर, निवेश – सलाहकार, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, शेयर – ट्रांसफर – एजेंट और अन्य लोग एक साथ लेनदेन या निवेश या विनियमन कर सके।

3. इसका अपने विनियामक कार्य के अंतर्गत शेयर के एक निश्चित समय सीमा में पर्याप्त अधिग्रहण को विनियमित करना और कंपनियों का अधिग्रहण करना भी शामिल है।

3. विकासात्मक कार्य (DEVELOPMENT FUNCTIONS) :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्रमुख कार्यो में से भारत में विकासात्मक कार्य करना भी शामिल है । इस विकासात्मक कार्य का कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित है –

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का एक प्रमुख कार्य सभी के लिए उपयोगी जानकारी प्रकाशित करवाना तथा शेयर बाजार से जुड़े ब्रोकर्स को प्रशिक्षण देना और उन ब्रोकर्स को शेयर – बाजार के जोखिमों के प्रति जागरूक करना भी है ।

2. इसके विकासात्मक कार्य में से निवेशक को निवेश के प्रति और निवेश के लाभ और हानियों के बारे में शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और जागरूक बनाना भी शामिल है।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शेयर बाजार के प्रतिभागियों और अन्य सभी जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं , उन हितधारकोंके लिए नवीनतम और उपयोगी जानकारी प्रकाशित करवाकर बाजार के अनुसंधान का संचालन करना और प्रमुख हितधारकों को जागरूक करना है ।

4. इसके विकासात्मक कार्यों में उचित माध्यम से किए गए लेनदेन को बढ़ावा देना भी शामिल है ।

5. इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शेयर – बाजार से जुड़े हुए हितधारकों और कंपनियों और स्व-विनियमन (सेल्फ रेगुलेटरी) संगठनों को प्रोत्साहित करना भी है।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का एक विकासात्मक कार्य यह भी है कि यह ब्रोकर के माध्यम से या सीधे म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने को प्रोत्साहित करे।

7. इसके विकासात्मक कार्यों में से एक कार्य शेयर – बाजार में निष्पक्ष लेनदेन को बढ़ावा देना भी है ।

8. शेयर – बाजार जगत में निवेशकों के साथ होनेवाली धोखाधड़ी को स्वतः संज्ञान में लेना और उस पर उचित कार्यवाही करने का कार्य सेबी का ही है।

सेबी का स्वरुप :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अपने संरचनात्मक स्वरुप में एक कॉर्पोरेट ढांचे के स्वरुप में है जिसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं और जिनका प्रबंधन उस विभाग के विभाग प्रमुखों द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसका प्रबंधन उसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सेबी में कानूनी मामले, निगम वित्त, ऋण और संकर प्रतिभूतियां, प्रवर्तन, आर्थिक और नीति – विश्लेषण, कमोडिटी डेरिवेटिव, बाजार विनियमन और कई अन्य विभाग मिलाकर कुल लगभग **20 विभाग** शामिल हैं। सेबी की संरचना एक पदानुक्रमित स्वरुप में है। जिनमें ये प्रमुख सदस्य शामिल होते हैं:

- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- सेबी समय-समय पर तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।

- सेबी में मुख्य रूप से एक अध्यक्ष होता है जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- भारत की केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सेबी में दो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी सेबी में एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
- भारत की केंद्र सरकार द्वारा भी सेबी में पांच सदस्यों का मनोनयन किया जाता है।

सेबी का क्षेत्राधिकार और प्रदत शक्तियां :

भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का एक वैधानिक संस्था होने के कारण इसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने की शक्तियां प्राप्त है और इसका क्षेत्राधिकार भी विस्तृत है । सेबी 1992 अधिनियम के नियामक निकाय में वर्णित / निहित ऐसी शक्तियों की एक सूची दी गई है। सेबी का मुख्य कार्य ही इसे भारत में प्रतिभूतियों को जारी करने वाला प्रमुख प्रतिभूति – जारीकर्ता, निवेशकों और व्यापारियों के हितों का रक्षक और एक वित्तीय – मध्यस्थ करने वाली संस्था के रूप में इसे एक महत्वपूर्ण निकाय/ संस्था के रूप में प्रतिस्थापित करता है। सेबी को अधिनियम 1992 के तहत अनेक शक्तियां प्राप्त है जिससे सेबी भारतीय वित्तीय बाजार को सुचारु और सशक्त रूप से संचालित कर सके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार में होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने और वित्तीय बाजार में अनैतिक व्यवहार को निगमित कर रोकने का अधिकार प्राप्त है। सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं, जो एक **दीवानी न्यायालय** में निहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 'प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण' (SAT) के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील कर सकता है। अतः भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है ,जिसका वह समय समय पर उपयोग करता है –

- **अर्ध – न्यायिक (Quasi – Judicial) –** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अर्ध – न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिभूति बाजार में यदि कंपनी , ब्रोकर या निवेशक कोई धोखाधड़ी अथवा अनैतिक व्यवहार करता है तो सेबी के पास निर्णय लेने की शक्ति है। यह शक्तियां प्रतिभूति – बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बनाए रखने की सुविधा देती है।
- **अर्ध – कार्यकारी (Quasi – Executive) –** अगर कोई व्यक्ति, कॉर्पोरेट या संस्था सेबी के नियमों, दिशा निर्देश और निर्णयों को उल्लंघन करता है तो सेबी अपने अर्ध – कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी नियम या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सेबी उस कंपनी या प्रतिभूति – बाजार के ब्रोक्करों खातों सहित और अन्य दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है और उसे शेयर बाजार में प्रतिस्थापित करने हेतु दिए जाने वाली स्थिति में अस्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां भी सेबी को पास होती है।
- सेबी के अध्यक्ष के पास **"खोज और जब्ती संचालन" (Search and Seizure operations)** का आदेश देने का भी अधिकार प्राप्त है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) किसी भी प्रतिभूति लेन – देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट, संस्थाओं से टेलीफ़ोन कॉल – डेटा रिकॉर्ड या अनुबंध दस्तावेज जैसी कोई भी जानकारी भी मांग सकता है।
- **अर्ध विधान या अर्ध – वैधानिक (Quasi – Legislative) –** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में शेयर बाजार के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों को लागू करने का अधिकार रखता है। इसके कुछ नियमों में इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम, लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं। यह भारत में भारत के बाहर से होने वाले शेयर अंदरूनी – व्यापार (Insider trading) को रोकता और अधिनियमित करता है।

निष्कर्ष: / समस्या का समाधान :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) मुख्य का उद्देश्य भारतीय वित्तीय एवं शेयर – बाजार को निष्पक्ष और सु-रक्षित रखना है । सेबी की स्थापना के बाद से ही भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए कानूनों,

नियमो और अपने दिशा – निर्देशों के माध्यम भारत के शेयर बाजार में बहुत से सुधार कार्य किए है। सेबी समय -समय पर शेयर – बाजार और निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए – नए नियमो का समावेश करता रहता है। यह शेयर – बाजार में निरंतर सुधार एवं पारदर्शिता लाने हेतु कार्य करता रहता हैं ताकि भारतीय वित्तीय बाजार में निवेशकों और शेयर बाजार से जुड़े सभी हितधारकों के प्रति सुरक्षित और सशक्त रह सके। वर्तमान समय में सेबी ने शेयर- बाजार को पूरी तरह से **" कैशलेस लेनदेन या आहरण से मुक्त कर"** अब इसे **"इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में परिवर्तित"** कर दिया है। जिससे अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बिना किसी ब्रोकर की सहायता के बजाय स्वयं से ही शेयर – बाजार में अपना निवेश कर सकता हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर – बाजार की नियामक प्रणाली को मजबूत करते हुए भारतीय प्रतिभूति – बाजार में मजबूती प्रदान करता है, जो अब शेयर बाजार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर और अधिक निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यह भारत में भारत के बाहर से होने वाले शेयर अंदरूनी – व्यापार (Insider trading) को रोकता और अधिनियमित करता है। अंततः ,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में एक शक्तिशाली निकाय है जो प्रतिभूर्ति बाजार और शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करता है

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक वैधानिक निकाय / संस्था (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है, जो भारतीय पूँजी बाजार के कामकाज को निगमित और नियमित करती है।
2. सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
3. सेबी के अध्यक्ष के पास " खोज और जब्ती संचालन ' का आदेश देने का भी अधिकार प्राप्त है।
4. यह भारत में भारत के बाहर से होने वाले शेयर अंदरूनी – व्यापार (Insider trading) को रोकता और अधि-नियमित करता है।

निम्नलिखित कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 1, 3 और 4

(C). इनमें से कोई नहीं।

(D). इनमें से सभी ।

उत्तर – (B).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बदलते वित्तीय बाजार के स्वरुप के आलोक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सिद्धांतों के अनुसार पूँजी बाजार के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा की आवश्यकता और इसके महत्व की विस्तृत चर्चा कीजिए।

भारतीय परीक्षा – प्रणाली में आमूल – चूल परिवर्तन की वर्तमान प्रासंगिकता

(यह लेख ' द हिन्दू ', द इकॉनोमी टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और मानव संसाधन , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत 'भारतीय परीक्षा – प्रणाली में आमूल – चूल परिवर्तन की वर्तमान प्रासंगिकता ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन : भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और मानव संसाधन , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास।

चर्चा में क्यों ?

- भारत के समाचार पत्रों और मीडिया कवरेजों में हर वर्ष या हर परीक्षा सीजन में हर स्तर के परीक्षा में होने वाले कदाचार , नक़ल और परीक्षा में घोटाले जैसी खबरे दिखाई और सुनाई पड़ती है। जिससे भारत में होने वाली परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और परीक्षा/ स्कूल बोर्डों या विश्विद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के मानक पर सवाल उठता रहता है। किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की कमी वहां के शैक्षिक मानकों को प्रभावित करती है क्योंकि सीखना प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। एक छात्र को किसी भी प्रकार की परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार करना ही शिक्षा और शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

- भारत में 1,100 से अधिक विश्वविद्यालयों, 700 से अधिक स्वायत्त कॉलेजों सहित 50,000 संबद्ध कॉलेजों और 40.15 करोड़ छात्रों के कुल नामांकन के साथ, भारत में मूल्यांकन के विविध तरीकों के साथ कई उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए भारत में लगभग 60 स्कूल बोर्ड भी हैं, जो हर साल 15करोड़ से अधिक छात्रों को प्रमाण – पत्र प्रदान करते हैं। किसी भी स्तर की परीक्षा में गोपनीयता और मानकीकरण अच्छे परीक्षा बोर्डों की पहचान मानी जाती है। उचित – जांच प्रणाली और सतत मूल्यांकन के बीच संतुलन तथा लेखा – परीक्षण के बिना हुए परीक्षा गोपनीयता परीक्षा घोटालों को जन्म देती है। किसी भी स्तर की परीक्षा में एकरूपता न केवल मानकीकरण मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में होने वाले नित नए प्रयोगों को समाप्त कर देता है। बल्कि शिक्षण और मूल्यांकन में पारदर्शिता से ही मूल्यांकन की विश्वसनीयता और शिक्षा का स्तर सुनिश्चित किया जा सकता है।

वर्तमान परीक्षा – प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों है ?

- भारत में वर्ष 2030 तक विश्व की सर्वाधिक युवा – आबादी होगी। अतः जब तक ये युवा आबादी कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित और कौशलयुक्त नहीं होंगें तब तक भारत की यह विशाल युवा आबादी भारत के लिए वरदान सिद्ध नहीं होंगें । अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार कौशलयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इस इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी।
- भारत की वर्तमान शिक्षा की स्थिति उपयुक्त अवसंरचना की कमी, छात्र-शिक्षक अनुपात की विषमता और शिक्षा पर निम्न सरकारी व्यय (भारत की जीडीपी के 3.5% से भी कम) जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है।
- अतः यह वर्तमान समय की जरूरत है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाए और ऐसा आधुनिक शिक्षण – प्रणाली दृष्टिकोण अपनाया जाए जो वर्त्तमान समय की जरूरतों के प्रति न केवल प्रासंगिक हो, बल्कि यह वर्तमान समय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। वर्तमान समय में भारत में ऐसी परीक्षा – प्रणाली विकसित हो जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy- NEP 2020)** के मुख्य उद्देश्यों को भी साकार करने की दिशा में अग्रसर हो।

परीक्षा सुधार आवश्यकता – समाज की आवश्यकताओं और विचारधाराओं में जैसे – जैसे परिवर्तन होता है, तत्कालीन शिक्षा – व्यवस्था व उसका स्वरूप भी तत्कालीन समय की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे – जैसे शिक्षा का उद्देश्य रोजगारपरक हुआ , तत्कालीन समय की जरूरतों के अनुसार देश के शिक्षाविदों द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते गए और परीक्षा मूल्यांकन की प्रणालियों में भी परिवर्तन होता गया।

किसी भी बालक या युवा का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो होता है, किन्तु इस विकास का मूल्यांकन करना आसान कार्य नहीं होता है। भारत में मौजूदा परीक्षा – प्रणाली परीक्षा में केवल कुछ अंक प्राप्त कर लेने तथा कोई ग्रेड प्राप्त कर लेना या कुछ गिने-चुने प्रश्नों के उत्तर रटंत विद्या से दे देने से भी शिक्षा और मौजूदा परीक्षा – प्रणाली के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, चूंकि किसी भी व्यक्ति या संस्था का मूल्यांकन सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अतः यह वर्तमान समय की जरूरत है कि भारत में परीक्षा – प्रणाली के मूल्यांकन – प्रक्रिया में निरंतर सुधार होता रहे जिससे यह वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा कर सके। भारत में मौजूद वर्तमान परीक्षा – प्रणाली में आमूल – चूल परिवर्तन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है : –

- तत्कालीन समाज की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ।
- बाजार और समाज के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए।
- पाठ्यक्रम को तत्कालीन समय की प्रासंगिकता और उपलब्ध मानव बल को उचित माध्यम से उपयोग करने के लिए।
- विशिष्ट योग्यता व प्रतिभा के समग्र विकास के लिए।
- कौशलयुक्त वास्तविक ज्ञान और नियोक्ता की जरूरतों के बीच के अंतर्संबंधों के मूल्यांकन के लिए।
- वर्त्तमान में मौजूद शिक्षण – प्रणालियों और समाज में संबंध स्थापित करने के लिए।

तत्कालीन समाज की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए :

- समाज की बदलती आवश्यकताओं, विचारधाराओं तथा शिक्षा में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए परीक्षा – प्रणाली में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। पिछले कई दशकों से छात्रों का मूल्यांकन अंक प्राप्त करने वाली पद्धति के द्वारा ही किया जाता था। फलत : छात्र/ छात्रा केवल किताबी ज्ञान को रट कर केवल अंक प्राप्त करने

होड़ में लगे रहते थे। इस परीक्षा – प्रणाली मूल्यांकन पद्धति से इस कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राएं लोकलाज की डर से आत्महत्या जैसे अनुचित और अमानवीय कृत्य तक कर बैठते थे।

- ऐसी अनुचित और अमानवीय कृत्य का स्वरूप धीरे-धीरे बढ़ने लगा और तब परीक्षा भी वर्ष के अंत में ली जाने लगी जिनमें छात्र / छात्राओं को केवल कुछ प्रश्नों का उत्तर ही लिखने के लिए बोला जाता था तथा इन्ही प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाता था। लेकिन कुछ अंकों के आधार पर ही किसी का भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य छात्र / छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है एवं छात्र / छात्राओं के अंदर निहित गुणों का विकास करना भी होता है। इसीलिए वर्तमान समय में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान परीक्षा – प्रणाली में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

बाजार और समाज के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए :

- वर्तमान समय में छात्रों को जो कक्षा में सिखाया जाता है तथा जिस प्रकार से सिखाया जाता है उसका उसकी परीक्षा प्रणाली के मूल्यांकन से संबंध कम होता जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा एवं परीक्षा – मूल्यांकन प्रणाली में उचित एवं आपसी सामंजस्य नहीं है। इस तालमेल को ठीक से बनाए रखने के लिए वर्तमान परीक्षा – प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

पाठ्यक्रम को तत्कालीन समय की प्रासंगिकता और उपलब्ध मानव बल को उचित माध्यम से उपयोग करने के लिए :

- किसी भी समाज या राष्ट्र में समय सापेक्ष पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होते रहे हैं। पाठ्यक्रम में अब विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों को भी स्थान दिया गया है। इनका सही से मूल्यांकन करने के लिए तथा छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचने के लिए मौजूदा परीक्षा – प्रणाली एवं मूल्यांकन – प्रणाली में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है।

विशिष्ट योग्यता व प्रतिभा के समग्र विकास के लिए :

- छात्रों के अंदर सन्निहित गुणों तथा प्रतिभा के विकास के लिए परीक्षा में सुधार करना आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर नहीं सभी गुणों को बाहर लाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं तथा उन उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसकी जांच परीक्षा व मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है।

- किसी भी समाज, परिवार या विद्यालय में कोई भी दो बालक एक समान प्रवृत्ति या रुचि के नहीं होते हैं और प्रत्येक बालक के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता या प्रतिभा होती है। शिक्षण के द्वारा उस छिपी हुई प्रतिभा का भी विकास किया जाता है। इस प्रतिभा के विकास का मूल्यांकन परीक्षा द्वारा किया जाता है। प्रतिभा के विकास के लिए भी मौजूदा परीक्षा – प्रणाली में मूल्यांकन – प्रक्रिया में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

कौशलयुक्त वास्तविक ज्ञान और नियोक्ता की जरूरतों के बीच के अंतर्संबंधों के मूल्यांकन के लिए:

- कौशलयुक्त वास्तविक ज्ञान और नियोक्ता की जरूरतों के बीच के अंतर्संबंधों के मूल्यांकन के लिए भी वर्तमान परीक्षा – प्रणाली के मूल्यांकन पद्धति में आमूल – चूल परिवर्तन की जरूरत है। छात्रों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसकी जांच मूल्यांकन द्वारा की जाती है और मूल्यांकन की विधियां अलग-अलग होती हैं। जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षाओं में भी वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार की परीक्षाओं से छात्र के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्त्तमान में मौजूद शिक्षण – प्रणालियों और समाज में संबंध स्थापित करने के लिए :

- वर्त्तमान में मौजूद शिक्षण – प्रणालियों और समाज में संबंध स्थापित करने के लिए भी परीक्षा – प्रणाली में निहित

मूल्यांकन पद्धति में आमूल – चूल परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि कोई भी छात्र/ छात्रा अपने परिवार या अपने समाज से निकलकर ही विद्यालय में प्रवेश करता है। वस्तुतः जिस प्रकार शिक्षा समाज का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार समाज शिक्षा का निर्माण करता है। समाज की आवश्यकताओं एवं विचारधाराओं के परिवर्तित होते ही शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। परीक्षा का मूल्यांकन भी इसी का एक भाग है। इसलिए शिक्षा व समाज में उचित संबंध स्थापित करने के लिए परीक्षा का मूल्यांकन सुधार वर्तमान समय की अत्यंत आवश्यकता है।

- धीरे-धीरे छात्र केवल कुछ चुने हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे थे। इससे छात्र के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। धीरे-धीरे परीक्षा के इस स्वरूप में परिवर्तन किया गया तथा लिखित परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल किया जाने लगा, जिसमें छात्रों के लिखित, मौखिक व प्रयोगात्मक कार्य की भी जांच की जाती थी। इससे छात्र की वर्ष भर के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था। पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों को शामिल किए जाने से इन परीक्षाओं की गुणवत्ता में भी कमी आने लगी तथा यह विचार किया जाने लगा कि छात्रों की वर्ष भर की अर्जित उपलब्धियों को भी परीक्षाफल में स्थान दिया जाना चाहिए। इसीलिए वर्ष भर के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली सेमेस्टर प्रणाली पर विचार करते हुए इसे भारत की परीक्षा – प्रणाली में सम्मिलित कर लिया गया। इन तमाम बदलावों के बावजूद भी भारत में मौजूदा परीक्षा – मूल्यांकन प्रणाली में कई दोष है , जिसे वर्तमान समय की जरूरतों को देखते इसमें आमूल – चूल परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है , जिससे एक समावेशी समाज – निमार्ण की दिशा में आगे बढ़ा जाए और वर्तमान समय के अनुकूल परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली विकसित हो सके और जो अपनी वर्तमान प्रासंगिकता को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार बरक़रार रख सके।

भारत में अब तक हुए भारतीय शिक्षा – प्रणाली की विकास – यात्रा :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

- स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।
- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया।
- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
- नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
- माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

- इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था।
- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "**ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड**" लॉन्च किया।
- इस नीति ने **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय** के साथ '**ओपन यूनिवर्सिटी**' प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "**ग्रामीण विश्वविद्यालय**" मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर **संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE)** और अखिल **भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance** Examination-AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।
- इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु** बदलते वैश्विक परिदृश्य में मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- **भारत में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ,भारत को एक** नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण – प्रणाली के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए और **भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए** भी भारत में शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) – 2020

भारत में शिक्षा की **गुणवत्तापूर्ण , उत्तरदायित्व , सभी तक पहुँच, समतावादी, लोकतांत्रिक और वहनीयता** जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** में मौजूदा शिक्षण प्रणाली से इतर आमूल – चूल परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत **केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश** का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही **'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry)** करने को भी मंज़ूरी दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) – 2020 के प्रमुख बिंदु :

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन-

1. 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण **' प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ' (Early Childhood Care and Education- ECCE)** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा **1 और 2 में शिक्षा** प्रदान की जाएगी।

- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- NEP में MHRD द्वारा **'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy)** की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा **वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु** इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण प्रदान करना

- NEP-2020 में **कक्षा-5** तक की शिक्षा में **मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा** को अध्यापन के **माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया** है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और **आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता** देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये **संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं** का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

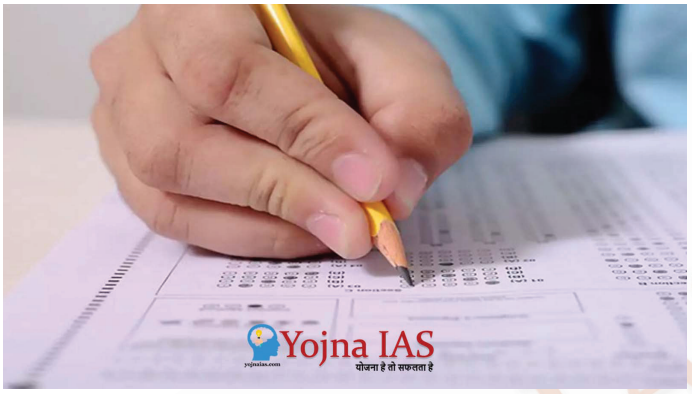

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार:

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- **'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा ' स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा ' (National Curriculum Framework for School Education) तैयार की जाएगी।**
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में **'परख' (PARAKH)** नामक एक नए **'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre)** की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये **' कृत्रिम बुद्धिमत्ता ' (Artificial Intelligence- AI)** आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार :

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर **'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE)** का विकास किया जाएगा।

- अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता **4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री** का होना **वर्ष 2030** तक अनिवार्य कर दिया गया है ।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान:

- **उच्च शिक्षण संस्थानों में** NEP-2020 के तहत **'सकल नामांकन अनुपात'** (Gross Enrolment Ratio) को **26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक** करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में **मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था** को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त **अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit)** बनाया गया , जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- **एम.फिल. (M. Phil) कार्यक्रम** को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया है ।

भारत उच्च शिक्षा आयोग :

- **उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय** के रूप में **भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI)** का गठन केवल चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर और अन्य सभी विषयों के लिए किया जाएगा।
- भारत उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रदर्शितापूर्ण और प्रभावी निष्पादन के लिए निम्नलिखित चार संस्थानों/निकायों का गठन / निर्धारण किया गया है –
- **विनियमन हेतु-** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)
- **मानक निर्धारण-** सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)
- **वित पोषण-** उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
- **प्रत्यायन-** राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)

भारत में वैश्विक शिक्षा स्तर के मानकों के अनुरूप 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU) की स्थापना आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) की शिक्षा स्तर के समकक्ष ही किया जायेगा ।

संबंधित चुनौतियाँ :

- **महँगी शिक्षा:** नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- **शिक्षकों का पलायन:** विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।

- **शिक्षा का संस्कृतिकरण:** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- **संसद की अवहेलना:** विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
- **मानव संसाधन का अभाव:** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- एक समाज में जिम्मेवार नागरिक और उनमें संवेदनशील चरित्र का निर्माण करने के लिए " **मूल्य आधारित शिक्षा (Value Education)** को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाए, क्योंकि नैतिक और उच्च मूल्य आधारित गुण शिशुओं द्वारा 5-6 वर्ष की आयु तक ही सीखे जाते हैं, किसी कारणवश बच्चे इस अवधि के दौरान यदि इन गुणों को सीखने में चूक जाते हैं, तो उनके लिए in नैतिक गुणों को जीवन में दोबारा ग्रहण करना बहुत ही मुश्किल होता है।
- जीवन के शुरुआती हज़ार दिनों में पोषण, स्वास्थ्य और उत्साह में किया गया निवेश भी मज़बूत मस्तिष्क का निर्माण करता है। अतः इसको प्रभावी रूप से प्रारंभिक बचपन के विकास कार्यक्रमों और बुनियादी शिक्षा के माध्यम से आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
- जिसे आधारभूत मानव पूंजी कहा जाता है, में निवेश के माध्यम से भारत अपने नागरिकों या मानव – बलों को नौकरियों, कौशल और बाज़ार संरचनाओं में आने वाले बदलावों के लिए तैयार कर सकता है।
- निवेश की कमी भविष्य की पीढ़ियों, खासतौर से सबसे गरीब लोगों को गंभीर नुकसान पहुँचाएगी इससे असमा-नता में और वृद्धि होगी जो पहले से ही मौजूद है
- यह भारत में सामाजिक – राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को पैदा कर सकता है जब बढ़ती आकांक्षाओं को अवसर के बजाय निराशा प्राप्त हो।
- वर्तमान में भारत ने मानव पूंजी में निवेश करना शुरू कर दिया है और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अधिक प्रतिस्पर्द्धी संघवाद और परिणाम-आधारित वित्त पोषण की दिशा में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से उत्तरदायित्व और सीखने के परिणामों में सुधार की उम्मीद है।
- **अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन (PISA)** प्रत्येक तीन वर्षों में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा संचालित किया जाता है। PISA में भाग लेने के लिए भारत का समझौता उसके रणनीतिक परिणामों का ही एक बड़ा कदम है, जो शिक्षा परिणामों के आधार पर वैश्विक सहयोगियों के साथ भारत को अपना रैंक सुधार करने में एवं बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करेगा।
- काम की बदलती प्रकृति के कारण विश्व बैंक के नीति निर्माताओं और सरकारों को मानव पूंजी के बारे में गंभीर चिंतन करने की भी अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि काम की बदलती प्रकृति उन्हें ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करती है।
- भारत में भविष्य की समृद्धि और राष्ट्रीय मानव पूंजी में वर्तमान और दीर्घकालिक निवेश लोगों को भविष्य की समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय रूप से भी प्रभावी निवेश है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्तमान समय में भारत की शिक्षण व्यवस्था में आमूल – चूल परिवर्तन की जरूरतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा।

4. नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 16% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 1 और 4

(C). केवल 2, 3 और 4

(D). केवल 2 और 4

उत्तर – (A).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के आलोक में यह चर्चा कीजिए कि कौशलयुक्त वास्तविक ज्ञान और नियोक्ता की जरूरतों के बीच के अंतर्संबंधों के मूल्यांकन के लिए भारत में वर्तमान परीक्षा – प्रणाली के मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन करने की जरुरत क्यों है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए ।

Yojna IAS
yojnaias.com